

राजस्थान सरकार

कार्यालय अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग

(साधारण बीमा निधि)

वित्त भवन, विधान सभा के पास, जयपुर (राजस्थान)

क्रमांक: एफ 1(150)मेडि/प्रचार-प्रसार/2011-12/पार्ट-II/15-16/ 7362-7400 दिनांक 30-3-16

संशोधित कार्यालय निर्देश

दिनांक 01.01.2004 एवं उसके पश्चात् नियुक्त राज्य कर्मचारियों पर लागू राजमेडिकलेम पॉलिसी वर्ष 2016-17 के दावों की भुगतान प्रक्रिया का जिला स्तर पर विकेन्द्रीकरण करने पर 'रियल टाईम बेसिस' पर ऑनलाईन एप्लीकेशन के माध्यम से दावा निस्तारण करने की प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत कार्यालय निर्देश क्रमांक 5609 दिनांक 08.01.2016 को जारी किये गये थे । इस निर्देश के बिन्दु संख्या 3 में "दावा प्रपत्र ऑनलाईन भरने, प्रपत्रों को स्कैन एवं अपलोड करने में होने वाले व्यय के लिए बीमित को अधिकतम रुपये 100 प्रति दावा पत्रावली का भुगतान पृथक से दावा राशि के साथ किया जावेगा " का उल्लेख किया गया था ।

इस क्रम में उक्त निर्देश को विलुप्त किया जाता है एवं यह स्पष्ट किया जाता है कि "दावा प्रपत्र ऑनलाईन भरने, प्रपत्रों को स्कैन एवं अपलोड करने में होने वाले व्यय के लिये बीमित को किसी प्रकार का कोई भुगतान नहीं किया जावेगा ।"

29/3/16
(बन्ना लोल)

निदेशक

क्रमांक: एफ 1(150)मेडि/प्रचार-प्रसार/2011-12/पार्ट-II/15-16/

दिनांक.....

प्रतिलिपि निम्नांकित को उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रेषित है :-

1. वरिष्ठ अतिरिक्त / अतिरिक्त / संयुक्त / उप / सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, मुख्यालय, जयपुर / साधारण बीमा निधि, जयपुर / समस्त संभागीय कार्यालय / जिला कार्यालय.....
2. रक्षित पत्रावली ।

29/3/16
(किशनाराम इशरवाल)
वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक

साधारण बीमा निधि, जयपुर ।